न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

RCMS No.—2017/00329

अपील संख्याः 155 / 17

1. रामगोपाल पुत्र स्व. रेवडमल आयु 70 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. भगवान सहाय पुत्र रेवडमल उम्र 65 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि कन्हैयालाल पुत्री स्व. रेवडमल जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी 370, नवीनगरी, कलाली गांव बडोदरा, गुजरात।
2. उप तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1160 दिनांक 13.02.2013 द्वारा उपतहसीलदार तहसील आंधी, जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 18.01.2019

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार, आंधी के निर्णय दिनांक 13.02.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1160 ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 57 बीघा 5 बिस्वा का नामान्तकरण खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.09.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, आंधी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2013 नामान्तकरण संख्या 1160 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ स्थित अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि के अपीलांट्स के पिता स्व. रेवडमल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पुत्र हीरालाल खातेदार रहे है जिनकी मृत्यु दिनांक 19.08.97 को हो जाने के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांट्स एवं उनकी तीन बहिनों नाथी देवी, मिश्री देवी एवं प्रेम देवी के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/5 तस्दीक किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण खुलने के बाद दो बहिनो एवं मिश्री देवी ने हकत्याग लिखकर उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी में दर्ज अपने नाम को हटा लिया और अपीलांट्स का जमाबंदी में हिस्सा 4/5 तथा 1/5 हिस्सा प्रत्यर्थी का दर्ज कर दिया गया। उक्त खाता संख्या 207 की भूमि में ही 1/5 हिस्सा प्रत्यर्थी का चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण के आधार पर दर्ज है। अपीलांट्स की पैतक भूमि पर पुत्रियों का अधिकार कोपार्सनर नही होने से नहीं था। बाकी खातो का नामान्तकरण अपीलांट्स के नाम खुल चुका था किन्तु इस खाते में 19 बीघा जमीन के संबंध में कुछ विवाद होने से अपीलांट्स के नाम नहीं हो सका। सन् 2005 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन हो जाने के कारण एवं धारा 6 की प्रोपर व्याख्या के अभाव में रेस्पा0 संख्या 2 उप तहसीलदार आंधी ने बहनो के नाम नामान्तकरण खोल दिया जबकि दो बहिनो ने अपनी ओर से रजि0 हकत्याग कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में प्रकाश बनाम अन्य बनाम फूलवती व अन्य के प्रकरण हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 थी व्याख्या करते हुए स्पष्ट विधिक व्यवस्था दे दी है कि उक्त संशोधन का लाभ जीवित पुत्री को तभी मिल सकता है जब दिनांक 20.12.2004 या संशोधन प्रभावशील होने के दिन तक उसका पिता जीवित हो। अपीलांट्स एवं रेस्पा0 संख्या 1 के मध्य तकासमे का दावा भी लम्बित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 13.02.2013 उप तहसीलदार आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

विद्वान अपीलांट अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 1160 ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण स्व रेवडमल के फोत होने पर विरासत के आधार पर जायन्दा पुत्र, पुत्रियों अपीलांट्स एंव रेस्पाडेन्ट संख्या–1 तथा नाथी देवी एवं मिश्री देवी के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.02.2013 को स्वीकार किया गया है। प्रकरण में रेस्पा0 का नाम उत्तराधिकार से दर्ज किया गया है सहदायिक होने के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है। अपीलांट की ओर से जो नजीरे पेश की गई है वे हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत सहदायिक होने तथा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उससे प्राप्त अधिकारो के संबंध में पेश की गई है, जबकि प्रकरण सहदायिक होने के संबंध में न होकर उत्तराधिकार के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण का है। उत्तराधिकार के आधार पर जो नामान्तकरण खोला गया है वह हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत खोला गया है न कि हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 के आधार पर इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर